न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 7/2017 (राजसमन्द आर्डर)

1. कैलाश पिता मांगीलाल जी ब्राहमण, निवासी बामणिया खुर्द, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मिठुलाल पिता मांगीलाल जी ब्राहमण, निवासी बामणिया खुर्द, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. किशनलाल पिता मांगीलाल जी ब्राहमण, निवासी बामणिया खुर्द, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. बाबुलाल पिता गणेशलाल जी जाट, निवासी बामणिया खुर्द, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. प्यारचन्द पिता किशनलाल जी रेगर, निवासी बामणिया खुर्द, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. रतनसिंह पिता जुझारसिंह जी राजपूत, निवासी बामणिया खुर्द, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. किशनसिंह पिता उदयराम जी जाट, निवासी बामणिया खुर्द, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. बद्रीलाल पिता उदयराम जी जाट, निवासी बामणिया खुर्द, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

सुरेश पिता जसराज जी जाट, निवासी जीवा खेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.) रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 8 रिलीजियस बिल्डिंग एण्ड प्लेस एक्ट 1954 विरूद्ध निर्णय जिला कलेक्टर राजसमन्द दिनांक 16–03–2017,

प्रकरण संख्या 01/2012

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री दुर्गा सिंह शक्तावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 28–11–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध धारा 6 राजस्थान रिलीजियस बिल्डिंग एण्ड प्लेस एक्ट 1954 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बामणियां खुर्द के अन्दर हल्के आबादी में प्रार्थी के बाड़े की भूमि में विपक्षीगण ने आज से 15 दिन पूर्ण धुली वाले बावजी का स्थान बनाकर मूर्ति स्थापित कर दी। विपक्षीगण ने प्रार्थी के मां की बिना इजाजत व स्वीकृति के प्रार्थी के बाड़े में अनाधिकृत प्रेवश कर उक्त धुणी वाले बावजी की स्थापना कर दी। विपक्षीगण ने राज्य सरकार व देवस्थान विभाग की बिना अनुमति के 8 फिट लम्बा एवं 4 फिट चौड़ा चबूतरा बनाकर उस पर 15 दिन पूर्व अनाधिकृत रूप से मूर्ति बिठा दी, जिसके हटाने के लिए कहने पर इंकार करते हैं। अतएवं प्रार्थी के बाड़े में विपक्षीगण द्वारा जो चबूतरा बनाया गया है उसे हटाया जाकर पूर्व की स्थिति कायम की जावे।

विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि पर कई वर्षो से धूणी वाले बावजी का स्थान है जहां काफी लोग पूजा अर्चना करते हैं। विपक्षीगण द्वारा कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गयी है, बल्कि चबूतरे की मरम्मत गांव वालों ने मिलकर करवाया है। प्रार्थी गांव जीवाखेड़ा का रहने वाला है तथा उसका ननिहाल बामणियां खुर्द में है, जहां धूणी वाले बावजी जमीन के पास उसके नाना का मकान है, जिससे प्रार्थी उक्त मकान की आड़ में नाजायज अतिक्रमण करना चाहता है एवं इस बाबत् उसके रिश्तेदारों द्वरा चबूतरा तोड़ने पर थाना रेलमगरा द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 16–03–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से चबूतरा बनाकर उस पर स्थापित मूर्ति को हटाये जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03–05–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया। → अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से वकील श्री दुर्गा सिंह शक्तावत उपस्थित हुये। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि उक्त स्थान काफी प्राचीन है तथा 20 वर्ष पूर्व जीर्णोद्धार कराया गया। धुणी वाले बावजी का स्थान आबादी की भूमि में स्थित है। रेस्पोन्डेन्ट एवं उनके परिवार वाले जबरन भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं तथा रेस्पोन्डेन्ट इस गांव का निवासी नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अतिक्रमण करने पर इनके विरूद्ध पुलिस केस हुआ तथा इन्हें गिरफ्तार किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा भी इन्हें अतिक्रमण नहीं करने को कहा गया। अवैध अतिक्रमण के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही भी विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के अधिवक्ता के अनुपस्थिति में एवं विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई अकाट्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का आधार बनाकर गलत निर्णय पारित किया है। कानूनन वादी को अपना वाद स्वयं सिद्ध कराना होता है। उक्त भूमि प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट एवं उसकी मां के स्वत्व की हो इस बाबत् कोई दस्तावेज उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। धुणी वाले बावजी का स्थान पूर्वजों के समय से करीब 100 वर्षो से अधिक समय से स्थापित को उस पर 20 वर्ष पूर्व ग्रामीणों द्वारा जीर्णोद्धार किया गया। धुणी वाले बावजी का स्थान समस्त ग्रामवासियों एवं श्रद्धालुओं की आस्था का स्थान है, जिसके लिए सभी को अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाया जाना अथवाा जा.दी. के प्रावधान आदेश 1 नियम 8 की पालना किया जाना आवश्यक था, जो नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व पेश शुदा रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट का प्रमुख उजर यह है कि विवादित भूमि प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट के स्वामित्व एवं आधिपत्य की नहीं है तथा धुणी वाले बावजी का स्थान काफी प्राचीन है। प्रकरण में किसी भी प्रमुख स्थल की स्थापना के लिए नियमानुसार राज्य सरकार की अनुमति ली जाना आवश्यक है तथा उक्त स्थान काफी प्राचीन हो इस बाबत् भी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अथवा अपील स्तर पर किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसके विपरीत वह यह कहता है कि स्थल का जीर्णोद्धार करवाया गया है, जिससे यह तो स्पष्ट है कि स्थल पर कुछ निर्माण किया गया है। प्रकरण में अपीलान्ट का अन्य उजर यह है कि आदेश 1 नियम 8 जा.दी. की पालना नहीं की गयी है, प्रकरण में अपीलान्ट जो कि अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं पक्षकार थे, उनके द्वारा किन्हीं अन्य व्यक्तियों की हितबद्धता के लिए ऐसा कोई उजर उठाने का कोई महत्व नहीं रहता है। प्रकरण में यदि किसी पक्षकार की दौराने कार्यवाही मृत्यु हो गयी तो उसके वारिसान को पक्षकारान बनाये जाने की कोई उपादेयता नहीं है, क्योंकि इस निर्णय से किसी के स्वत्व अधिकारों की घोषणा नहीं हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों के आलोक में किसी भी धार्मिक स्थल बनाने जाने के लिए रिलीजियस बिल्डिंग एक्ट एवं प्लेस एक्ट 1954 के तहत नियमानुसार राज्य सरकार की पूर्व अनुमति नहीं लिये जाने के आधार पर विधि का शासन स्थापित किये जाने के उद्देश्य से जो निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–03–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–11–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर